न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–रामरख मीना (आर.ए.एस)
राजस्व प्रकरण : बाबत दुरूस्ती जमाबन्दी

प्रकरण स. 133/2015

निर्णय दिनांक 2.8.2017

बलकरण सिंह पुत्र बलवन्त सिंह उर्फ जसवंत सिंह उर्फ बंता सिंह जाति जटसिख सा. ढाणी 10 पी.टी.पी किशनपुरा उतराधा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार राजस्व संगरिया

अप्रार्थी

निर्णय

उक्त अनुवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी की तरफ से जरिए वकील उक्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया कि प्रार्थी व प्रार्थी के पिता के नाम से चक 10 पी.टी.पी खाता स. 70/70 व इसी चक के खाता स. 69/64 ज.स. 2070–73 मे आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसका प्रार्थी खातेदार काश्तकार है प्रार्थी की कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड मे चक 10 पी.टी.पी खाता स. 70/70 ज.स. 2070–73 मे प्रार्थी के पिता का नाम बलवन्त सिंह उर्फ जसवंत सिंह उर्फ बंता सिंह दर्ज है जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम बलवन्त सिंह ही है इसी चक के खाता स. 69/64 मे प्रार्थी के पिता का नाम बंता सिंह पुत्र हरी सिंह दर्ज है जबकि प्रार्थी के पिता का नाम बलवन्त सिंह व दादा का नाम हमीर सिंह दर्ज होना चाहिए था । राजस्व रिकार्ड मे उक्त त्रुटि होने के कारण प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पडता है व प्रार्थी को भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है । जिस कारण प्रार्थी के पिता व दादा का नाम दुरूस्त करवाने का प्रार्थी अधिकारी एवं दावेदार है । प्रार्थी के परिवार राश्नकार्ड व मतदाता सूचि व मतदाता पहचान पत्र व महानरेगा जॉब कार्ड का अन्य जरूरी दस्तावेजो मे भी प्रार्थी के पिता का नाम बलवनत सिंह पुत्र हमीर सिंह अंकित है। अतः चक 10 पी.टी.पी खाता स. 70/70 ज.स. 2070–73 मे प्रार्थी के पिता का नाम बलवन्त सिंह उर्फ जसवंत सिंह उर्फ बंता सिंह के स्थान पर बलवन्त सिंह दर्ज किया जावे। व इसी चक के खाता स. 69/64 मे प्रार्थी के पिता का नाम बंता सिंह पुत्र हरी सिंह के स्थान पर बलवन्त सिंह पुत्र हमीर सिंह दर्ज किया जावे व इसी अनुसार जमाबन्दी दुरूस्त की जावे।

उक्त तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । तहसीलदार राजस्व संगरिया से पटवारी रिर्पोट मंगवाई गई। मुताबिक रिर्पोट प्रार्थी का नाम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि चक 10 पी.टी.पी खाता स. 70/70 ज.स. 2070–73 मे प्रार्थी के पिता का नाम बलवन्त सिंह उर्फ जसवंत सिंह उर्फ बंता सिंह के स्थान पर बलवन्त सिंह दर्ज किया जावे। व इसी चक के खाता स. 69/64 मे प्रार्थी के पिता का नाम बंता सिंह पुत्र हरी सिंह के स्थान पर बलवन्त सिंह पुत्र हमीर सिंह दर्ज किया जावे व इसी अनुसार जमाबन्दी दुरूस्त की जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे आज दिनांक 2.8.2017 को सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलैक्टर